



सत्यमेव जयते

भारत-सरकार

कार्यालय

प्रधान आयकर आयुक्त

केन्द्रीय राजस्व भवन, जयपुर रोड़, अजमेर-305001

क्रमांक. प्र. आ.आ./अजमेर/निविदा/2018-19/

दिनांक : 08.05.2018

निविदा सूचना

कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त, अजमेर के द्वारा जारी निविदा दिनांक 06.04.2018 को निरस्त किया जाता है । कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त, अजमेर इच्छुक ट्रेवल्ल्स/संस्थाओं से एक से तीन वर्ष के लिए अनुबन्ध पर किराये के निम्न वाहन उपलब्ध कराने के लिए पुनः मुहरबन्द निविदाएँ आमंत्रित करता है -

स्टाफ कार - (Honda/Hyundai/Ciaz/Volkswagen/Etios/ समकक्ष)

आपरेशनल व्हीकल - (Innova/ समकक्ष)

निविदाएँ दिनांक 21.05.2018 को शाम 04:00 बजे तक जमा की जा सकेगी और दिनांक 22.05.2018 को सायं 04:00 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी।

निविदा दस्तावेज में दी गई शर्तों एवं नियमों में सुधार/हटाने का अधिकार या किसी मौखिक निविदा को बिना किसी नोटिस या कारण बताये अस्वीकृत करने एवं इस निविदा को निरस्त करने का अधिकार इस कार्यालय के पास आरक्षित रहेगा।

निविदा दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता से रू.500/- के भुगतान (payable "The JCIT Feild Pay Unit, Ajmer A/C No.32415111602") के एवज में कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते है ।

(गजेन्द्र सिंह राठौड)

प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)

कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त, अजमेर



भारत-सरकार
कार्यालय

प्रधान आयकर आयुक्त
केन्द्रीय राजस्व भवन, जयपुर रोड़, अजमेर-305001

कंमाक.प्र. आ.आ./अजमेर/निविदा/2018-19/

दिनांक : 08.05.2018

निविदा सूचना (Tender Notice)

प्रधान आयकर आयुक्त कार्यालय, अजमेर को अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित वाहनट्रेवलस/संस्थाओं से एक से तीन वर्ष की अवधि के लिए मासिक किराया अनुबन्ध परलिया जाना है जिसके लिए निविदा (सीलबंद) लिफाफे में आमंत्रित की जाती है :-

वाहन

- (A) Staff Car- Honda City/ ETIOS/Volkswagon/Ciaz/Dzire/Hyundaiअथवा समकक्ष sedan वाहन मयसेफ्टी फीचर्स -संख्या कम से कम 1, अधिकतम 2
- (B) Operational vehicle - Innova अथवा समकक्ष- कम से कम 1, अधिकतम -4

निविदा प्रपत्र दिनांक 09.05.2018 की पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 21.05.2018 को अपराह्न 04:00 बजे तक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त, अजमेर कमरा न. 123 आयकर भवन, जयपुर रोड़, अजमेर से रू. 500/- के भुगतान पर प्राप्त किये जा सकते हैं। रू. 500/-का Demand Draft ZAO सक्षम अधिकारी को payable होगा "The JCIT Feild Pay Unit, Ajmer A/C No.32415111602" निविदा प्रपत्र भरकर जमा करवाने की अंतिम तिथि 21.05.2018 को शाम 04:00 बजे तक है। निविदा प्रपत्र निर्धारित समय तक प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी), कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त, अजमेर के कार्यालय में जमा किये जायेंगे। निर्धारित समय के पश्चात् कोई निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। निविदा उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष दिनांक 22.05.2018 को अपराह्न 4:00 बजे सभाकक्ष, द्वितीय तल, केन्द्रीय राजस्व भवन, जयपुर रोड़, अजमेर में खोली जायेगी।

निविदा प्रपत्र सीलबंद लिफाफे में जमा होंगे। निविदा दो स्तर पर होगी- तकनीकी व वित्तीय। Staff Car एवं Operational vehicle के लिए निविदाएं तकनीकी एवं वित्तीय अलग-अलग देनी होगी। तकनीकी व वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफों में होनी चाहिए तथा लिफाफे पर स्पष्टत तकनीकी वाहन हेतु एवं वित्तीय वाहन हेतु अंकित होना चाहिए। दोनों निविदा एक बड़े लिफाफे में हों तथा उस पर शीर्षक "वाहन हेतु निविदा" लिखा होना चाहिए। तकनीकी व वित्तीय निविदा अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में नहीं होने पर या वित्तीय निविदा में प्रस्तावित मासिक किराया राशि उल्लिखित होने पर निविदा रद्द कर दी जायेगी। उन्हीं निविदा दाताओं की वित्तीय निविदा खोली जाएगी जो तकनीकी रूप से पात्र होंगे।

(अ) निविदा के लिए पात्रता :-

1. वाहन निविदा दाता कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ब्युष्टि, संस्था इत्यादि के स्वयं के नाम या इसके भागीदार/ Director इत्यादि के नाम से होना चाहिए।
2. नवीनतममॉडल के वाहन एवं Staff Car के लिए नवीनतम मॉडल के साथ अधिकतम safety and conveniencefeatures जैसे कि Alloy Wheels/Air Bags/Auto AC/Reverse view CAM/Parking Senser/ ABS/EBD etc. को वरियता दी जायेगी।

3. निविदा दाता आयकर दाता होना चाहिए, प्रमाण के लिए पिछले वर्ष अर्थात् निर्धारण वर्ष 2016-17 या 2017-18 की विवरणी की प्रति तथा PAN Card की प्रति लगाना अनिवार्य है।
4. निविदा दाता का कार्यालय/आवासअजमेर में ही होना चाहिए।
5. निविदा दाता को प्रति वाहन रू. 5000/- की निविदा राशि EMDजमा करवानी होगी। यह राशि Demand Draft/Bankers cheque के द्वारा "The JCIT Feild Pay Unit, Ajmer A/C No.32415111602" के नाम से होगा। जो व्यक्ति निविदा में असफल होंगे उन्हें 30 दिन के भीतर निविदा राशि का Draft/Cheque वापस कर दिया जायेगा तथा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। जो निविदा दाता अनुबंध लेने में सफल होंगे उनको एक माह की सेवा देने के पश्चात् निविदा राशिका Draft/Banker Cheque वापस किया जाएगा। सफल निविदादाता एक माह में किसी भी तरह का default करता है तो रू.5000/- की निविदा राशि जब्त होगी और contract अगले सफल निविदा दाता को दिया जा सकता है।
6. निविदा दाता को पिछले वर्षों से किसी केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालय में वाहन उपलब्ध करवाने का अनुभव होने पर वरीयता दी जायेगी।
7. निविदा के साथ यह प्रपत्र हस्ताक्षर करके सहमति स्वरूप लगाना अनिवार्य है।

(ब) निविदा की शर्तें :-

1. यह कि कार पूर्णतया सुसज्जित होनी चाहिए।
2. यह कि वाहन चालक को कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
3. वाहन के लिए मासिक किराया राशि न्यूनतम 2500 से अधिकतम 3200 कि.मी. प्रतिमाह के लिए देय होगी। 3200 कि.मी से अधिक होने पर प्रति कि.मी. चलने की दर का विवरण भी अपनी निविदा में दें।
4. यह कि सामान्यतः कार्य समय प्रातः 08:00 वजे से सांय 08:00 वजे तक होगा। रविवार के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश नहीं होगा अथवा सप्ताह में किसी एक दिन अवकाश होगा। वाहन चालक को अवकाश के दिन भी आफिस कार्य होने पर कार्य पर बुलाया जा सकता है।
5. यह कि उपलब्ध करवाई गयी कार के खराब होने/ सर्विस पर होने अथवा वाहन चालक की अनुपस्थिति के दौरान दूसरी कार उपलब्ध करवाने/ अन्य वाहन चालक की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी निविदा दाता की होगी।
6. यह कि वाहन के समय पर रिपोर्ट नहीं करने की स्थिति में विभाग को अन्य वाहन किराये पर लेने का अधिकार होगा एवं वैकल्पिक वाहन के लिए देय भुगतान राशि को निविदा दाता द्वारा वहन किया जायेगा। यह राशि अनुबन्धकर्ता के देय मासिक किराये की राशि में से काटे जाने हेतु आयकर विभाग प्राधिकृत होगा।
7. यह कि आशा की जाती है कि कार अगर सरकारी कार्यों से राजस्थान से बाहर जाती है। तो दूसरे राज्य का टैक्स, टोल टैक्स, पार्किंग इत्यादि निविदा कर्ता को देना होगा।
8. यह कि ठेका समाप्ति हेतु निविदा दाता को कम से कम एक माह का नोटिस देना होगा। निविदा कर्ता बिना किसी कारण बताये इस अनुबंध को एक महीने की नोटिस पर रद्द कर सकता है। Exceptional cases में बिना कारण बताये कभी भी रद्द किया जा सकता है।
9. यह कि वाहन चालक के अशोभनीय व्यवहार या गाड़ी सही सर्विस नहीं होने पर निविदा कर्ता को किसी भी समय ठेका रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।
10. यह कि कार के ड्राइवर से सम्पर्क स्थापित करने हेतु उसके निवास पर संचालित टेलिफोन और मोबाईल नं. इस कार्यालय में बताना होगा।
11. यह कि अनुबन्धकर्ता द्वारा किराये पर उपलब्ध कराई गई कार या समकक्ष व्यवस्था पर होने वाली रख रखाव पेट्रोल, डीजल, ऑयल, स्पेयर पार्ट्स, मरम्मत, रोड़ टैक्स, बीमा आदि के खर्च तथा उसके द्वारा वहन दिये जाने वाले कर्मचारियों/वर्दीधारी चालक के वेतन आदि के समस्त खर्च अनुबन्धकर्ता द्वारा वहन किये जायेंगे।
12. कार/वाहन का उपयोग अनुबन्धकर्ता एवं वाहन चालक आयकर विभाग के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र नहीं करेगा।

13. यह कि किसी दुर्घटना/ क्षति/ मानवीय भूल या अन्य कोई भी कारण के द्वारा अगर कोई क्षति होती है व जिसके पुर्नभरण का आदेश/डिक्री आदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है या अन्यथा जवाबदेही हैं तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता और वाहन चालक की होगी और आयकर विभाग किसी भी भांति से जिम्मेदार नहीं होगा।
14. यह कि वाहन निविदा दाता की यह जिम्मेदारी होगी कि कार पर समस्त देय कर एवं बीमा राशि, ईंधन, ल्यूब्रिकेंट, चालक के वेतन का भुगतान समय से किया जाए और कार हमेशा अच्छी स्थिति में रहे। यदि कार की रिपेयरिंग/ सर्विस होनी है तो अवकाश दिवस में ही कराई जाए। यदि कार्य दिवस को कराना आवश्यक हो तो आवश्यकतानुसार दूसरी गाड़ी का इंतजाम करने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
15. यह कि अनुबन्धकर्ता द्वारा रखे गये कर्मचारी/वाहन चालक को वेतन भुगतान आदि नहीं करने की स्थिति में अनुबन्धकर्ता पर होने वाली किसी भी देनदारी के लिए आयकर विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
16. यह कि विश्राम की स्थिति में ड्राइवर के ठहरने व भोजन की व्यवस्था निविदा दाता को करनी होगी।
17. यह कि यदि किसी माह में वाहन अधिकतम किलोमीटर से कम चलेगा तो बचे हुए किलोमीटर आगे के महीनों में जुड़ जायेंगे। यदि किसी माह वाहन अधिकतम किलोमीटर से ज्यादा चलेगा तो आगे के महीनों (अनुबंध अवधि) में उसका एडजस्टमेंट/set off किया जायेगा।
18. यह कि वाहन के चालक द्वारा धारित ड्राइविंग लाइसेंस की प्रमाणित छाया प्रति आयकर कार्यालय को देनी होगी।
19. यह कि निविदा दाता द्वारा कार चालक को निर्धारित सफेद या अन्य रंग की वर्दी उपलब्ध करवाई जायेगी जो उसे कार्य के समय पहनना अनिवार्य होगा। अनोपचारिक पहनावा (casual) मान्य नहीं होगा और पहनने पर 50 रु. प्रति दिन के हिसाब से बिल से कटौती होगी।
20. यह कि कार चालक लाईसेन्सधारी, शिक्षित, स्वस्थ, व्यवहार कुशल व विनम्र होना चाहिए वह नशा करने वाला (नशेड़ी) नहीं होना चाहिए जिसके लिए अनुबन्धकर्ता जिम्मेदार होगा।
21. यह कि किलोमीटर की रीडिंग गाड़ी के ड्यूटी के स्थान पर पहुँचने के समय से लेकर ड्यूटी का स्थान छोड़ने के समय तक ली जायेगी।
22. यह कि ड्यूटी समय के बाद गाड़ी की पार्किंग की जिम्मेदारी निविदा दाता की होगी। वाहन कार्यालय परिसर अथवा सम्बन्धित अधिकारी / आयकर विभाग के निर्देशानुसार निर्धारित स्थान पर ही रखी जाएगी।
23. यह कि निविदा दाता इस अनुबंध को सब-लेट नहीं करेगा।
24. यह कि पूरी अनुबंध अवधि में वाहन संबंधित अधिकारी/ आयकर विभाग के निष्पादन (disposal) पर रहेगा।
25. यह कि वाहन अन्दर व बाहर से पूर्णतः साफ-सुथरा, अच्छी स्थिति में होना चाहिये एवं उसमें एयर कण्डिशनर व हीटर चालू स्थिति में होने चाहिये। वाहन के सीट कवर साफ-सुथरे होने चाहिये।
26. यह कि निविदादाता/वाहन स्वामी व वाहन चालक वाहन के संबंध में आयकर विभाग/ संबंधित अधिकारी के निर्देश मानने को बाध्य होंगे।
27. यह कि अनुबंध शुरू होने की तिथि से पूर्व निविदा दाता को वाहन की रजिस्ट्रेशन पुस्तिका व बीमा प्रपत्रों की प्रति निविदाकर्ताकार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। किराये पर उपलब्ध कराई गई कार में असीमित यात्री दायित्व बीमा (Unlimited passenger liability Insurance) का प्रावधान अनुबंधकर्ता को कराना होगा।
28. यह कि यह अनुबंध, निविदा आवंटित होने व अनुबंध पत्र हस्ताक्षर करने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य होगा। अगर वाहन नवीनतम मॉडल का उपलब्ध करवाया जाता है तो अनुबंध अवधि दो या तीन वर्ष भी रखी जा सकती हैं। सेवाएं संतोषप्रद पाये जाने तथा वाहन की स्थिति अच्छी होने की स्थिति में अगर आरंभिक अनुबंध एक वर्ष है तो आपसी सहमति से यह अनुबंध आगे की अवधि के लिए भी बढ़ाया जा सकता है।
29. यह कि तकनीकी निविदा के संबंध में निविदा मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम होगा। सफल तकनीकी निविदाओं को ही वित्तीय निविदा निकालने के लिये सम्मिलित किया जायेगा।

30. यह कि „No fraud and no corrupt practices Certificate’ निविदा दाता को निर्धारित स्टाम्प पेपर पर देना होगा।
31. यह कि निविदाकर्ता द्वारा अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध पर उपलब्ध कराई गई कार के लिए प्रतिमाह संबंधित अधिकारी से संतोषप्रद सेवाओं एवं पूरे माह आवश्यकतानुसार उपलब्ध रहने का प्रमाण-पत्र दिये जाने पर उसे चैक/डी.डी/ऑनलाइन द्वारा नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। आयकर कानून के प्रचलित प्रावधानों के तहत नियमानुसार स्रोत पर आयकर कटौती (TDS) विभाग द्वारा अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रस्तुत बिलों के भुगतान के समय की जायेगी।
32. यह कि आयकर विभाग द्वारा अनुबन्धकर्ता को देय भुगतान पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) और अन्य टैक्स यदि देय हो तो निविदा राशि के अतिरिक्त देय होगा।
33. वाहन में सफेद (white) रंग के कवर/तौलिए/sanitizer/cleaner/odour remover/fragrance etc की व्यवस्था होनी चाहिए।
34. कार्यालय कार्य से बाहर जाने पर रहने/खाने इत्यादि की वाहन चालक के लिए व्यवस्था करने की जवाबदारी Contractor/ Driver की होगी।
35. वाहन चालक वाहन में बैठे हुए नहीं होने चाहिए। वाहन चालक वाहन रूकने पर अधिकारी का दरवाजा खोलेंगे एवं बैठने पर अधिकारी का दरवाजा बन्द करेंगे। वाहन चालक अधिकारी के बैठने के पहले वाहन में नहीं बैठेंगे एवं अधिकारी का दरवाजा एवं अन्य दरवाजे बन्द हैं उसको चलाने के पहले सुनिश्चित करेंगे।
36. वाहन Motor Vehicle Act/ Rules/ Pollution Control एवं RTO requirement के अनुसार हो।
37. Department किसी भी violation/टोल टैक्स के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(स) वित्तीय निविदा की शर्तें :-

1. वाहन का किराया प्रतिमाह की दर में अंकित होना चाहिए।
2. अधिकतम किलोमीटर के उपरांत बिल प्रति किलोमीटर के हिसाब से contract period अथवा एक वर्ष समाप्ति पर देय होगा। प्रति किलोमीटर की दर का उल्लेख निविदा में स्पष्ट रूप से हो।
3. वाहन का किराया प्रतिमाह बिल प्रस्तुत करने पर देय होगा।
4. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार प्रधान आयकर आयुक्त, अजमेर को होगा।
5. किसी भी वाद होने की स्थिति में न्यायालय क्षेत्राधिकार अजमेर स्थित सक्षम न्यायालय का होगा।

तकनीकी निविदा प्रपत्र-STAFF CAR के लिए

1.	निविदा दाता कंपनी/ संस्था/ का नाम	
2.	निविदा दाता का व्यवसाय एवं व्यावसायिक पता	
3.	वर्तमान पता	
4.	स्थायी पता	
5.	टेलिफोन नंबर, मोबाईल नं. फैक्स एवं ईमेल आईडी	
6.	आयकर पैन् संख्या मय साक्ष्य :-	
7.	निविदा दाता का विगत वर्षों का आय विवरण मय निर्धारण अधिकारी	
8.	निविदादाता की वित्त वर्ष 2016-17 की वार्षिक सकल प्राप्तियां (Turn over)	
9.	निविदादाता के CGST एवं SGST नं.	
10.	उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन का विवरण /निर्माण (Make) Model/Company जगह कम होने पर कम्पनी द्वारा दिये गये leaf let/specification को संलग्न कर सकते हैं ।	
11	वाहन के safety/comfort/ convenience features	Yes/No
	(a) Air Bags	
	(b) ABS/EBD	
	(c) Parking camera	
	(d) Parking Sensor	
	(e) Power/Electrical steering	
	(f) Auto AC (automatic climate control)	
	(g) Power window - Front - Back	
	Company द्वारा दिये गये specification का विवरण /leaf let इत्यादि संलग्न कर सकते हैं ।	
12.	ठेकेदार के पास कुल उपलब्ध कारों की संख्या	

13.	उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन चालक की योग्यता व अनुभव	शैक्षणिक योग्यता		वाहन चालक का अनुभव	विशेष विवरण
14.	पूर्व में लिए गए ठेकों का विवरण				
	विभाग का नाम व पता	उपलब्ध कराई गयी कारों की संख्या व प्रकार	ठेके की राशि प्रति वाहन/प्रति माह	ठेका समाप्ति का कारण	अन्य विशेष विवरण
15.	डिमाण्ड ड्राफ्ट रु. 5000/- की संख्या, तिथि व बैंक का नाम				

स्थान :-

दिनांक :-

(निविदा दाता / अधिकृत व्यक्ति

के हस्ताक्षर एवं नाम/मुहर)

तकनीकी निविदा प्रपत्र-Operational Vehicle के लिए

1.	निविदा दाता कंपनी / संस्था / का नाम				
2.	निविदा दाता का व्यवसाय एवं व्यावसायिक पता				
3.	वर्तमान पता				
4.	स्थायी पता				
5.	टेलिफोन नंबर, मोबाईल नं. फैक्स एवं ईमेल आईडी				
6.	आयकर पैन संख्या मय साक्ष्य :-				
7.	निविदा दाता का विगत वर्षों का आय विवरण मय निर्धारण अधिकारी				
8.	निविदादाता की वित्त वर्ष 2016-17 की वार्षिक सकल प्राप्तियां (Turn over)				
9.	निविदादाता के CGST एवं SGST नं.				
10.	उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन का विवरण / निर्माण (Make) Model/Company जगह कम होने पर कम्पनी द्वारा दिये गये leaf let/specification को संलग्न कर सकते है ।				
11.	ठेकेदार के पास कुल उपलब्ध कारों की संख्या				
12.	उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन चालक की योग्यता व अनुभव	शैक्षणिक योग्यता	वाहन चालक का अनुभव	विशेष विवरण	
13.	पूर्व में लिए गए ठेकों का विवरण				
	विभाग का नाम व पता	उपलब्ध कराई गयी कारों की संख्या व प्रकार	ठेके की राशि प्रति वाहन / प्रति माह	ठेका समाप्ति का कारण	अन्य विशेष विवरण
14.	डिमाण्ड ड्राफ्ट रु. 5000/- की संख्या, तिथि व बैंक का नाम				

स्थान :-

दिनांक :-

(निविदा दाता / अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं नाम / मुहर)

घोषणा

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं। मैंने निविदा की सभी शर्तें तथा नियम पढ़ लिये हैं तथा अच्छी तरह समझ लिये हैं। अगर किसी स्तर पर उपरोक्त सूचनाओं में कोई विसंगति/असत्यता पाई जाती है तो मुझे आयकर विभाग द्वारा वर्तमान तथा भविष्य में जारी किये जाने वाली निविदाओं/व्यवहार के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।

स्थान :-

दिनांक :-

(निविदा दाता के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

नाम :-

वित्तीय निविदा प्रपत्र—Staff Car के लिए

1.	निविदा दाता का पूरा नाम	
2.	निविदा दाता का व्यवसाय एवं व्यावसायिक पता	
3.	वर्तमान पता	
4.	स्थायी पता	
5.	दूरभाष नंबर, मोबाईल नं., फैंक्स एवं ईमेल आईडी	
6.	वाहन चालक का पूरा नाम व पता	
7.	वाहन चालक का दूरभाष नंबर एवं मोबाईल नं.	
8.	ड्राइविंग लाइसेंस का पूर्ण विवरण मय साक्ष्य	
9.	सेवा प्रदाता/निविदा दाता द्वारा प्रस्तावित दर प्रतिमाह न्यूनतम 2500 से 3200 कि.मी. के लिए	
10.	अतिरिक्त प्रति किलोमीटर कर दर (मासिक 3200 कि.मी. से अधिक चलने पर)	
11.	कार के निर्माण (Make), मॉडल/कम्पनी का पूर्ण विवरण जगह कम होने पर कम्पनी द्वारा दिये गये leaf let/specification कोसंलग्न कर सकते है ।	
12.	अगर वाहन की delivery नहीं हुई हैं तो और आवेदन तिथि को उपलब्ध नहीं हो तो बुकिंग का साक्ष्य तथा संभावित उपलब्धता तिथि का विवरण	
13	वाहन के safety/comfort/convenience features	Yes/No
	- Air Bags	
	- Alloy Wheel	
	- ABS	
	- EBD	
	- Parking Camera	
	- Parking sensor	
	- Automatic climate control A.C.	
	- Power Steering	
	- Power windows	

संलग्न

स्थान :-

दिनांक :-

निविदादाता या अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
(नाम :-)

वित्तीय निविदा प्रपत्र—Operational Vehicle के लिए

1.	निविदा दाता का पूरा नाम	
2.	निविदा दाता का व्यवसाय एवं व्यावसायिक पता	
3.	वर्तमान पता	
4.	स्थायी पता	
5.	दूरभाष नंबर, मोबाईल नं., फ़ैक्स एवं ईमेल आईडी	
6.	वाहन चालक का पूरा नाम व पता	
7.	वाहन चालक का दूरभाष नंबर एवं मोबाईल नं.	
8.	ड्राइविंग लाइसेंस का पूर्ण विवरण मय साक्ष्य	
9.	सेवा प्रदाता/निविदा दाता द्वारा प्रस्तावित दर प्रतिमाह न्यूनतम 2500 से 3200 कि.मी. के लिए	
10.	अतिरिक्त प्रति किलोमीटर कर दर (मासिक 3200 कि.मी. से अधिक चलने पर)	
11.	कार के निर्माण (Make), मॉडल/कम्पनी का पूर्ण विवरण जगह कम होने पर कम्पनी द्वारा दिये गये leaf let/specification को संलग्न कर सकते हैं ।	
12.	अगर वाहन आवेदन तिथि को उपलब्ध नहीं हो तो संभावित उपलब्धता तिथि का विवरण	
13	वाहन के safety/comfort/convenience features	Yes/No
	- Air Bags	
	- ABS/EBD/Power Break	
	- Parking sensor	
	- A.C.	
	- Power Steering	
	- Power windows	

संलग्न

स्थान :-

दिनांक :-

निविदादाता या अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
(नाम :-)

DECLARATION ABOUT FRAUD AND CORRUPT PRACTICES

(Declaration should be mentioned on a stamp paper of Rs. 100/-)

We certify that in last three years, we have neither failed to perform on any contract, as evidenced by imposition of a penalty by an arbitral or judicial authority or a judicial pronouncement or arbitration award, nor been expelled from any project or contract by any public authority nor have had any contract terminated by any public authority for breach on our part.

We declare that:-

- a) We have not directly or indirectly or through an agent engaged or indulged in any corrupt practice, fraudulent practice, coercive practice, undesirable practice or restrictive practice, in respect of any tender or request for proposal issued by the Agreement entered into with the Authority or Govt. of India, State Govt. and any other Public Sector Enterprises from time to time.
- b) We hereby certify that we have taken steps to ensure that no person acting for us or on our behalf has engaged or will engage in any corrupt practice, fraudulent practice, coercive practice, undesirable practice or restrictive practice.
- c) We certify that in regard to matters other than security and integrity of the country, we or any of our Associates have not been convicted by a Court of Law or indicted or adverse orders passed by a regulatory authority, which could cast a doubt on our ability to undertake the Project or which relates to a grave offence that outrages the moral sense of the community.
- d) We further certify that in regard to matters relating to security and integrity of the country, we have not been charge-sheeted by any agency of the Government or convicted by a Court of Law. We further certify that no investigation by a regulatory authority is pending either against us or against our CEO or any of our Directors/Managers/Employees.
- e) We certify that no penalty has ever been imposed in respect of services rendered by us in any organization/Ministry/Department.

Signature; Name & Designation with office Seal